तारीख हुक्म	न्यायालय–विशिष्ट न्यायाधीश (एन.डी.पी.एस. प्रकरण) सीकर राजस्थान राज्य बनाम रामू आदि विशिष्ट प्रकरण संख्या 253/2023	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
08.06.2026	1. श्री सांवरमल बिजारणियां, विशिष्ट लोक अभियोजक उपस्थित। अभियुक्त मोहम्मद शाहरूख वरजमानत मय अधिवक्ता श्री ताराचन्द यादव तथा अभियुक्त रामू वरजमानत मय अधिवक्ता श्री फैसल खां उपस्थित। 2. साक्ष्य अभियोजन में गवाह संख्या 10 रामलाल का जमानती वारण्ट बाद तामील प्राप्त हुआ है परन्तु गवाह रामलाल अनुपस्थित है। गवाह रामलाल लोक सेवक का आदेश न मानकर गैरहाजिर रहा है। अतः पुलिस अधीक्षक, सीकर के मार्फत गवाह संख्या 10 रामलाल को नोटिस जारी हो कि आपके विरूद्व धारा 208 भारतीय न्याय संहिता के दण्डनीय अपराध के लिए अभियोजित करने की कार्यवाही क्यों न अमल में लाई जावे, इस बाबत् आपके पास कोई जवाब हो तो न्यायालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर प्रस्तुत करे। 3. दिनांक 04.06.2026 हेतु जारी गवाह संख्या 3 दुर्गाराम व गवाह संख्या 8 वेदप्रकाश के जमानती वारण्ट की तामील जरिये ई–मेल करवाई है जबकि जमानती वारण्टों की तामील व्यक्तिगत रूप से करवानी होती है। उक्त गवाहान की तामील जरिये ई–मेल किस आधार पर करवाई इस सम्बन्ध में थानाधिकारी पुलिस थाना कोतवाली सीकर को नोटिस जारी हो कि वो अपना स्पष्टीकरण न्यायालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर प्रस्तुत करे। 4. साक्ष्य अभियोजन में गवाह संख्या 3 दुर्गाराम, गवाह संख्या 8 वेदप्रकाश को जरिये जमानती वारण्ट राशि तीन हजार रूपये से तथा गवाह संख्या 10 रामलाल को जरिये गिरफतारी वारण्ट से दिनांक 10.06.2026 हेतु तथा गवाह संख्या 1 पवन कुमार, गवाह संख्या 7 दलीप कुमार व गवाह संख्या 12 अशोक चौधरी को जरिये जमानती वारण्ट राशि तीन हजार रूपये से दिनांक 11.06.2026 हेतु तलब किया जावे। 5. पत्रावली साक्ष्य अभियोजन हेतु सर्वप्रथम दिनांक 10.06.2026 को पेश हो। 8.6.26 विशिष्ट न्यायाधीश एन.डी.पी.एस. प्रकरण सीकर (राज.)	2108 Shahrukh Sir, B/W - S. No-1 व्यक्तिगत रूप से तामील D.No 988 09-06-26 Sir, [illegible] D.No. 990 9-6-26 द्वारा S.P. सीकर [illegible] D.No 991/9-6-26 द्वारा [illegible]